सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 88/प्रा0पत्र/2023 **दायरा दिनांक :–14.06.2023**

GCMS ID–2023/24

1. पूरणचन्द आ0 परमानन्द जाति माली निवासी रामेश्वर चोराहा, जयनिवास हाल निवासी देवपुरा बून्दी जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 16/04/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 30 खसरा संख्या 200/18 रकबा 0.8094 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम जयनिवास पटवार मण्डल ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है, जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी उक्त भूमि शन्ति पूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी गरीब काश्तकार है जो मय परिवार कृषि कार्य पर निर्भर है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से फसल बोता जोता एवं काटता चला आ रहा है। प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा संख्या 200/18 की ऑनलाईन रिकॉर्ड में सहवन से मौके के अनुरूप तरमीम नहीं होकर गलत तरमीम अंकित हो गई तथा मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम नहीं की गई है, इसलिए प्रार्थी की भूमि की तरमीम मौके के अनुसार किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की भूमि की, की गई गलत तरमीम को दुरूस्त करके मौके के अनुसार सही तरमीम नहीं की गई तो आस पडोस काश्तकारों के मध्य तरमीम को लेकर वाद विवाद बढ जायेगा इसलिए गलत तरमीम को दुरूस्त करवाये जाने के अलावा प्रार्थी के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं है। प्रार्थी की भूमि की वास्तविक मौके एवं कब्जे के अनुरूप जॉच रिपोर्ट मंगवायी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

जाकर सही तरमीम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.05.2023 को कम्प्यूटर जमाबंदी व नक्शा ट्रेस लेने पर गलत तरमीम की जानकारी हुई तब प्रार्थी ने दिनांक 12.05.2023 को उक्त गलत तरमीम निरस्त करने हेतु तहसीलदार साहब से मिला परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि बाद न्यायालय आदेश के ही गलत तरमीम को दुरूस्त किया जा सकेगा इसलिए प्रार्थी श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। अन्दर अवधी प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त गलत तरमीम के ऑनलाईन इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 200/18 रकबा 0.8094 वाके ग्राम जयनिवास पटवार मण्डल ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 की, की गई गलत तरमीम को निरस्त कर मौके एवं कब्जे के अनुरूप तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय नायब तहसीलदार, दबलाना से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :- राजस्व/25/426 दिनांक 02.04.2025 अनुसार खसरा संख्या 200/18 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। नक्शा शीट में तरमीम अनुसार प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त है किन्तु ऑनलाईन भू-नक्शा में उक्त तरमीम गलत दर्ज हो रही है। सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। पेरोकार सरकार द्वारा भी वर्तमान तरमीम को खारिज कर मुताबिक रिपोर्ट नायब तहसीलदार दबलाना के तरमीम किया जाना अंकित किया गया है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू-सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि ग्राम जयनिवास पटवार मण्डल ठीकरदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

के खाता संख्या 30 के खसरा संख्या 200/18 की वर्तमान में गलत हुई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना अपेक्षित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 30 के खसरा संख्या 200/18 वाके जयनिवास पटवार मण्डल ठीकरदा की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खसरा संख्या 200/18 की तरमीम प्रार्थी के कब्जे अनुसार व नायब तहसीलदार दबलाना के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहर्रीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 16.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

16/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446